फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी मांगीलाल विपक्षी गोपाल

किस्म मुकदमा 212 RT Act पत्रावली संख्या 07/23 सन्

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	28/8/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान में वारिस कायमी में लम्बित हैं। अधिवक्ता प्रार्थी को वारिस कायमी हेतु लगभग 2 वर्ष से अधिक का समय दिया जा चुका है परन्तु प्रार्थी द्वारा अब तक वारिस कायमी नहीं करवाई गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के प्रति सजग नहीं है एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। आज भी स्वयं प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली • जिला-उदयपुर (राज.) • सत्यमेव जयते Signature Not Verified Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia Date: 2025.09.17 18:29:09 IST Reason: SelfAttested सहायक कलक्टर (SDO) मावली	